न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :— भवानी सिंह, (आर.ए.एस)
राजस्व वाद संख्या :— 93/2020

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

श्रीमती नन्दकंवर पत्नी मगसिंह जाति राजपूत निवासी माणकलाव तहसोल व जिला जाधपुर

1. रामसिंह पुत्र जालमसिंह जाति राजपूत निवासी प्लाट न. 199 हनवन्त ए बी.जे.एस. कॉलोनी जोधपुर
2. श्रीमती चान्द कंवर पत्नी स्वर्गीय नरपतसिंह जाति राजपूत निवासी इन्द्रोका तहसील व जिला जोधपुर
3. राजस्थान सरकार जरिय तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थिति :—वादीगण की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की ओर से श्री महेन्द्र सिंह राठौड़ अधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या 3 सरकारी परोकार

निर्णय **दिनांक :—**

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पटेलनगर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1554 रकबा 13 बीघा किस्म बारानी प्रथम स्थित है। यह भूमि वादी की माता छांवकवर पत्नो जालमसिंह जी की सयुक्त खातेदारी की थी। जिसमें छांवकंवर का 1/6 वॉ हिस्सा निहित है। छांवकंवर के एक पुत्र रामसिंह तथा दो पुत्रिया नन्दकंवर तथा चांदकंवर है। खातेदार छांवकंवर का देहान्त सन् 2010 में हो गया। इस कारण उपरोक्त सयुक्त खातेदारी भूमि का वादो की माता जो छांवकंवर पत्नी जालमसिंह जी का फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 1257 दिनांक 14.01.2013 स्वीकृत किया गया। उसमें वादी का लिपीकीय भूलव"ा या त्रुटीव"ा लालकंवर नाम लिख दिया, जबकि वादी का वास्तविक नाम नन्दकंवर है।

इसो प्रकार ग्राम हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर [illegible] रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 2450 रकबा 07 बीघा 02 बिस्वा, [illegible] नम्बर 2450/1 रकबा 10 बीघा 14

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:06:41 IST
Reason: SelfAttested

बिस्वा, खसरा नम्बर 2450/2 रकबा 08 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 2450/3 रकबा 09 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 2453 रकबा 11 बीघा, खसरा नम्बर 2454 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 2455 रकबा 05 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 2456 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 2456/1 रकबा 10 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 2457 रकबा 10 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 2458/1 रकबा 10 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 2459 रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 2460 रकबा 08 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 2461 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 2462 रकबा 16 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 2463 रकबा 06 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 2464 रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 2465 रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 2466 रकबा 34 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 2467 रकबा 04 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 2468 रकबा 10 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 2469 रकबा 16 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 2470 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 2471 रकबा 08 बीघा 14 बिस्वा कुल खसरा 25 कुल रकबा 277 बीघा 04 बिस्वा स्थित है। यह भूमि वादी की माता छांवकवर पत्नी जालमसिंह जी की सयुक्त खातेदारी की थी। जिसमें छांवकंवर का 1/16 वॉ हिस्सा निहित है। छांवकंवर के एक पुत्र रामसिंह तथा दो पुत्रिया नन्दकंवर तथा चांदकंवर है। खातेदार छांवकंवर का देहान्त सन् 2010 में हो गया। इस कारण उपरोक्त सयुक्त खातेदारी भूमि का वादी की माता जी छांवकंवर पत्नी जालमसिंह जी का फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 3217 दिनांक 22.11.2011 स्वीकृत किया गया। उसमें वादी का लिपीकीय भूलव"ा या त्रुटीव"ा लालकंवर नाम लिख दिया, जबकि वादी का वास्तविक नाम नन्दकंवर है।

वादी को घर में लाड प्यार से लालकंवर पुकारते है और वादी का सरकारी दस्तावेज आदि में वादी का नाम नन्दकंवर लिखा हुआ है। जब वादी की माताजी छांवकंवर का देहान्त हुआ उस समय फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 1257, 3217 में भ्लव"ा या त्रुटीव"ा वादी का नाम लालकंवर लिखवा दिया, जबकि वादी का सरकारी दस्तावेजो के अनुसार उसका वास्तविक नाम नन्दकंवर है।

वादी अभी अपनी खातेदारी की कृषि भूमि पर ऋण लेने हेतु बैक के समक्ष गयो और अपनी [illegible] रोव खातेदारी भूमि पर ऋण देने हेतु का निवेदन किया और अपने सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, पैनकार्ड, बैंक

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:06:41 IST
Reason: SelfAttested

डायरी, आदि दस्तावेज बैंक मैनेजर साहब के समक्ष पे"ा किये, जिस पर बैंक मैनेजर साहब ने दस्तावेज देखकर बताया कि आपका सरकारी दस्तावेज में आपका नाम नन्दकंवर लिखा हुआ है और जमाबन्दी में लालकंवर लिखा हुआ ह, जिस पर बैक मैनजर ने ऋण देने से मना कर दिया और वादी को कहा कि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में शुद्धि आदि करवायी जावे। इस कारण वादी को राजस्व रेकर्ड मे अपने लालकंवर के स्थान पर नन्दकंवर नाम की घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती करवाने हेतु का यह दावा पे"ा करना पड़ रहा है।

वादी लालकंवर एवं नन्दकंवर एक ही औरत ह तथा विवादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा का"त चला आ रहा है। वादी ने विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1554, 2449, 2450, 2450/1, 2450/2, 2450/3, 2453, 2454, 2455, 2456, 2456/1, 2457, 2458/1, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471 की खातेदारी के विरूद्ध तहसीलदार या अन्य किसी के न्यायालय में कही कोई आपति, एतराज या अपील, रिवीजन आदि पे"ा नही की है। वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में लालकंवर नाम लिख देने से वादी न तो अपनी भूमि पर ऋण ले सकतो ह तथा न ही कोई सरकारी सहायता प्राप्त कर सकतो ह और न ही अपनी खातेदारी भूमि का बैचान कर सकतो ह। वादी को घर पर लाड़ प्यार से लालकंवर पुकारते है, इस कारण वादी की माताजी छांवकंवर का फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 1257, 3217 स्वीकृत करते समय भूलव"ा या बोना जानकारी के वादी का नाम लालकंवर दर्ज कर दिया, जबकि वादी के सरकारी दस्तावेज नन्दकंवर नाम से जारी किये हुए है, अतः राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी का नाम गलत अंकित करना एक मानवीय भूल रह गयी, जिसे घोषणा के जरिए दुरूस्त किया जाना आव"यक है।

अन्त में दावा पेश कर निवदन किया कि ग्राम पटेलनगर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1554 रकबा 13 बीघा के राजस्व रेकर्ड में लालकंवर पुत्री जालमसिंह के स्थान पर नन्दकंवर पुत्री जालमसिंह पत्नी मगसिंह की घोषित की जाकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज गलत नाम लालकंवर के स्थान की दुरूस्ती की जाकर उसके स्थान पर नन्दकंवर का नाम [illegible] में दर्ज करने का आदे"ा फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:06:41 IST
Reason: SelfAttested

इसी प्रकार ग्राम हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 2449 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 2450 रकबा 07 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 2450/1 रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 2450/2 रकबा 08 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 2450/3 रकबा 09 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 2453 रकबा 11 बीघा, खसरा नम्बर 2454 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 2455 रकबा 05 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 2456 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 2456/1 रकबा 10 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 2457 रकबा 10 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 2458/1 रकबा 10 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 2459 रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 2460 रकबा 08 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 2461 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 2462 रकबा 16 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 2463 रकबा 06 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 2464 रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 2465 रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 2466 रकबा 34 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 2467 रकबा 04 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 2468 रकबा 10 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 2469 रकबा 16 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 2470 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 2471 रकबा 08 बीघा 14 बिस्वा कुल खसरा 25 कुल रकबा 277 बीघा 04 बिस्वा के राजस्व रेकर्ड में लालकंवर पुत्री जालमसिंह के स्थान पर नन्दकंवर पुत्री जालमसिंह पत्नी मगसिंह की घोषित की जाकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज गलत नाम लालकंवर के स्थान की दुरूस्ती की जाकर उसके स्थान पर नन्दकंवर का नाम रेकर्ड में दर्ज करने का आदे"ा फरमावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की ओर से जवाब पे"ा किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पटेलनगर तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1554 रकबा 13 बीघा जरूर आयी हुयी है। उक्त भूमि वादी की माता छांवकंवर पत्नी जालमसिंह की संयुक्त खातेदारी की थी। खातेदार छावकुवर के एक पुत्र रामसिंह तथा दो पुत्रियां नन्दकंवर तथा चांदकंवर है। पद संख्या-2 दावा [illegible] जवाब इस प्रकार ह कि गाम हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा जि[illegible] में भूमि खसरा नम्बर 2449, 2450, 2450/1, 2450/2, 2450/3, 24[illegible] 2454, 2455, 2456, 2456/1, 2457,

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:06:41 IST
Reason: SelfAttested

2458/1, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, कुल खसरा 25 कुल रकबा 277 बीघा 4 बिस्वा जरूर आयी हुयी है। उक्त भूमि वादी की माता छांवकंवर पत्नी जालमसिंह की संयुक्त खातेदारी की थी। खातेदार छावकवर के एक पुत्र रामसिंह तथा दो पुत्रियां नन्दकंवर तथा चांदकंवर है। अन्त मे जवाब दावा पे"ा कर वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

प्रतिवादी संख्या 3 सरकारी पैरोकार न जवाब पेश किया कि उपरोक्त दावे के पद संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमि में लालकंवर पुत्री जालमसिंह के स्थान पर नन्दकंवर पुत्री जालमसिंह को राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया जाता है तो कोई आपति नहीं ह। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से दावा को स्वीकार करने के कारण तनकीयात की आव"यकता नही रही।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी का साक्ष्य शपथ पत्र रेकर्ड पर लिया गया, वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के तौर पर प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 खसरा नम्बर 1554 गाम पटेलनगर तहसोल बिलाड़ा, प्रद"र्ा 2 जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 खसरा नम्बर 2450, 2450/1, 2450/2, 2450/3, 2453, 2454, 2455, 2456, 2456/1, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466 गाम हरियाढाणा, प्रद"र्ा 3 जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 खसरा नम्बर 2449, 2457, 2458/1, 2471 गाम हरियाढाणा, प्रद"र्ा 4 आधारकार्ड नन्दकंवर आदि का पेश किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने वादीगण के दावे को स्वीकार कर डिक्री करने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 1 से 2 ने जवाब में स्पष्ट रूप से बताया कि लालकंवर एवं नन्दकवर एक ही औरत है इसके अलावा अन्य कोई औरत नही है। छांवकंवर के एक पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 रामसिंह तथा एक पुत्री वादी संख्या नन्दकंवर तथा चांदकंवर है। इनके अलावा कोई वारि"ाान नही है। उपरोक्त विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त वादो का चला आ रहा है। लालकंवर व नन्दकंवर एक ही औरत ह, जिनका सगा भाई रामसिंह ने जवाब में स्पष्ट रूप से तथ्य को लिखा है। इस कारण दस्तावेजो के आधार पर वादो का दावा डिक्री किये जाने योग्य है। उपरोक्त साक्ष्य के समग्र वि"लेषण से वादी ने अपने द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों व जवाब से यह स्पष्ट किया है कि वादी के सरकारी दस्तावेजों में उसका नाम नन्दकंवर दर्ज किया हुआ है। इस कारण वादी का दावा स्वीकार किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:06:41 IST
Reason: SelfAttested

अतः वादी का वाद बाबत् घोषणा खातेदारी डिक्री किया जाकर ग्राम पटलनगर तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1554 रकबा 13 बीघा तथा ग्राम हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर खसरा नम्बर 2449 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 2450 रकबा 07 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 2450/1 रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 2450/2 रकबा 08 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 2450/3 रकबा 09 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 2453 रकबा 11 बीघा, खसरा नम्बर 2454 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 2455 रकबा 05 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 2456 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 2456/1 रकबा 10 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 2457 रकबा 10 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 2458/1 रकबा 10 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 2459 रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 2460 रकबा 08 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 2461 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 2462 रकबा 16 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 2463 रकबा 06 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 2464 रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 2465 रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 2466 रकबा 34 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 2467 रकबा 04 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 2468 रकबा 10 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 2469 रकबा 16 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 2470 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 2471 रकबा 08 बीघा 14 बिस्वा कुल खसरा 25 कुल रकबा 277 बीघा 04 बिस्वा राजस्व रेकर्ड में दर्ज सयुक्त खातदार लालकंवर पुत्री जालमसिंह के स्थान पर वादी नन्दकंवर पुत्री जालमसिंह पत्नी मगसिंह की खातेदारी का"तकारी की भूमि घोषित की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रकर्ड में नामांन्तकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फै"ालसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:06:41 IST
Reason: SelfAttested

(भवानी सिंह)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6—7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

वादीगण	प्रतिवादीगण
श्रीमती नन्दकंवर पत्नी मगसिंह जाति राजपूत निवासी माणकलाव तहसोल व जिला जाधपुर	1. रामसिंह पुत्र जालमसिंह जाति राजपूत निवासी प्लाट न. 199 हनवन्त ए बी.जे.एस. कॉलोनी जोधपुर 2. श्रीमती चान्द कंवर पत्नी स्वर्गीय नरपतसिंह जाति राजपूत निवासी इन्द्रोका तहसील व जिला जोधपुर 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :— 93/2020

निर्णय दिनांक :—

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की ओर से श्री महेन्द्रसिंह राठौड़ अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 3 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पे"। होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद डिक्री किया जाकर ग्राम पटेलनगर तहसील बिलाड़ा की सरहद में भ्मि खसरा नम्बर 1554 रकबा 13 बीघा तथा ग्राम हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर खसरा नम्बर 2449 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 2450 रकबा 07 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 2450/1 रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 2450/2 रकबा 08 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 2450/3 रकबा 09 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 2453 रकबा 11 बीघा, खसरा नम्बर 2454 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर [illegible] रकबा 05 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 2456 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 2456/1 रकबा 10 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 2457 रकबा [illegible] बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 2458/1

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:06:41 IST
Reason: SelfAttested

रकबा 10 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 2459 रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 2460 रकबा 08 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 2461 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 2462 रकबा 16 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 2463 रकबा 06 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 2464 रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 2465 रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 2466 रकबा 34 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 2467 रकबा 04 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 2468 रकबा 10 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 2469 रकबा 16 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 2470 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 2471 रकबा 08 बीघा 14 बिस्वा कुल खसरा 25 कुल रकबा 277 बीघा 04 बिस्वा के राजस्व रेकर्ड में दर्ज सयुक्त खातदार लालकंवर पुत्री जालमसिंह के स्थान पर वादी नन्दकंवर पुत्री जालमसिंह पत्नी मगसिंह की खातेदारी का"तकारी की भूमि घोषित की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रकर्ड में नामांन्तकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि"नर			फीस कमि"नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:06:41 IST
Reason: SelfAttested